प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज, उ0प्र0।

आवंटन

अनुदान सं0–83

लेखाशीर्षक–4515007890600–24

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,

लखनऊ, कौशाम्बी, हरदोई, औरैया, बाराबंकी, खीरी, महोबा, इटावा, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, फतेहपुर, हाथरस, सहारनपुर, चन्दौली, बिजनौर, अमेठी, अयोध्या, मऊ, भदोही, गोरखपुर, बुलन्दशहर, जौनपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा सन्त कबीर नगर।

संख्या–1/शा0/19/2021–1/109/2021 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2021

विषय–वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान सं0–83 में बहुउद्‌देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 490.02 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0–44/2021/1146/33–3–2020–100(13)/2015 दिनांक 02 अगस्त 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान सं0–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–06–बहुद्‌देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)–24–वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0–500.00 लाख के सापेक्ष **रू0 490.02 लाख (रू0 चार करोड़ नब्बे लाख दो हजार मात्र)** की धनराशि आवंटन हेतु अवमुक्त की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0–490.02 लाख निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है–

01–आंकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व योजना प्रभारी का होगा तथा आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

02–प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। धनराशित का आवंटन किसी प्रकार के अन्य व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

03–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

04–आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

05–आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

06–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

07–धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

08–आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, आवंटित धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना–प्रभारी का होगा।

09–योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10–निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11–योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी आवंटन प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

12–उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–83 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–06–बहुद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13–शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/ आर0पी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

14–प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आंगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आंगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

15–शासनादेश सं0–4021/33–3–2019–182/2013 दिनांक 16.01.2020(**छायाप्रति** संलग्न) के प्रस्तर क के बिन्दु 3, 4, 5 एवं 6 में पंचायत भवन निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग और मनरेगा कन्जर्वेशन की धनराशि से अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, उन ग्राम पंचायतों का चयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

16–वर्ष 2021–22 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2022 को निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2–उक्त आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–3/2021/बी–1–37 /दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 व अन्य संगत शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–112 पर अंकित है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

<u>सं0–1/शा0/19/1/2021 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–211001

2–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

3–उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।

4–सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

6–सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

7–सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

8–सम्बन्धित उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, बहुद्देशीय पंचायत भवन योजना, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

9–एस0पी0एम0यू0 पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज उ0प्र0।

22

Mukhyamantripanchayatprotsahan allotment

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-05/08/2021

प्रेषण संख्या:- 1-sha-19-2021-01-109-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-109-2021
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
2	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
3	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
4	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
5	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
6	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
7	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
8	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
9	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
10	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
11	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
12	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
13	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
14	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
15	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
16	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
17	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
18	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
19	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
20	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
21	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
22	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
23	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
24	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
25	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
26	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
27	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
28	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
	योग	वर्तमान प्रगामी	49002000 49002000	49002000 49002000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ नब्बे लाख दो हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ नब्बे लाख दो हजार

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1/200/19/2021

1146
संख्या-44- /2021/ /33-3-2020-100(13)/2015

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या- 83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण(जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से 490.02 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/207/2021-5/19/2021 दिनांक 29.06.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में प्रावधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 490.02 लाख (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख दो हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत एस.सी. एस.पी. हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायत भवन निर्माण के लिए श्री राज्यपाल व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) आकडों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा तथा स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय , स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होनें निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(9) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(12) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06- बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 व अन्य संगत शासनादेशों में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u>

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक - तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

16.7.21

शासनादेश संख्या-44 /2021/1146/33-3-2021-100(12)/2015 दिनांक 02 अगस्त 2021 का संलग्नक

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	अनुदान संख्या-83 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि		पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
			लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	भूकम्परोधी रहित प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित प्रति पंचायत भवन रू0 18.03 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	8	1	17.46	17.46
2	कौशाम्बी	8	1	17.46	17.46
3	सीतापुर	19	0	17.46	0.00
4	हरदोई	19	1	17.46	17.46
5	उन्नाव	16	0	17.46	0.00
6	रायबरेली	18	0	17.46	0.00
7	झांसी	8	0	17.46	0.00
8	औरैया	7	1	17.46	17.46
9	जालौन	9	0	17.46	0.00
10	बाराबंकी	15	1	17.46	17.46
11	मिर्जापुर	12	0	17.46	0.00
12	खीरी	15	1	17.46	17.46
13	कानपुर नगर	10	0	17.46	0.00
14	चित्रकूट	5	0	17.46	0.00
15	महोबा	4	1	17.46	17.46
16	इटावा	8	1	17.46	17.46
17	अम्बेडकरनगर	9	1	17.46	17.46
18	कानपुर देहात	10	0	17.46	0.00
19	आजमगढ़	22	1	17.46	17.46
20	फतेहपुर	13	1	17.46	17.46
21	हाथरस	7	1	17.46	17.46
22	सहारनपुर	11	1	18.03	18.03
23	चन्दौली	9	1	17.46	17.46

अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	अनुदान संख्या-83 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि		पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आबंटित धनराशि
			लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	भूकम्परोधी रहित प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित प्रति पंचायत भवन रू0 18.03 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4	5	6
24	बिजनौर	11	1	18.03	18.03
25	अमेठी	13	1	17.46	17.46
26	प्रयागराज	23	0	17.46	0.00
27	अयोध्या	11	1	17.46	17.46
28	मऊ	9	1	17.46	17.46
29	भदोही	6	1	17.46	17.46
30	सोनभद्र	10	0	17.46	0.00
31	गोरखपुर	20	1	17.46	17.46
32	बुलन्दशहर	16	1	17.46	17.46
33	जौनपुर	21	1	17.46	17.46
34	अलीगढ़	12	1	17.46	17.46
35	बांदा	8	0	17.46	0.00
36	मथुरा	10	1	17.46	17.46
37	आगरा	15	1	17.46	17.46
38	सुलतानपुर	14	1	17.46	17.46
39	हमीरपुर	7	0	17.46	0.00
40	प्रतापगढ़	17	1	17.46	17.46
41	संतकबीरनगर	9	1	17.46	17.46
महायोग		494	28		490.02